

डिक्री मुकदमा इन्तदाई

3

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपरवुट अधिकारी मुकाम टोडाभीम व
 इजलास पीठासीन अधिकारी की जगदीश आर्य R.A.S
उनवाज

पुत्री के की पालि मनोहर
जाल जाते बैश्या
निवासी भण्डारी तह
टोडाभीम
करौली


बनाम

पुत्रिया पि पु लूड्या
जाते बैश्या निवासी
खिलचीपुरवाडा तहसील
टोडाभीम
तहसीलदार टोडाभीम

दावा बाबत दो घणा खोतवारी मुकदमा नं० 08 सन् 2016
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई श्री सुरेश चन्द झा व हाजिरी
मिनकानिब गुदई सबई हमारे

नजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि
दावा वा दीगण खिलचा प्रीतवादीगण डिक्री किया जाकर
आराजी ख.नं. 1362 कबा 0.62 है। 1372 कबा 0.73 है
कुल कित्ता 2 कुल 2 कबा 1.35 है गाम खिलचीपुर
वाडा तह टोडाभीम की प्रतिमान में खोतदार पुत्रिया
पुत्र लूड्या के नाम हजल करके वादीया की
खोतदार का प्रकार घोषित किया जाता है।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक
 का अदा करे। 23 माह 6.16 सन्



दस्तखत उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
 ओहदा

मुहरी	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	/	/	स्टाम्प अर्जी दावा	/	/
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा	मीजान				
मुतफरिक					

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।